संख्या U.O-23 /18(2)08–यू0ओ0–23/2008

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 09 सितम्बर, 2008

विषयः– **मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के अतिथि गृह हेतु जनपद देहरादून में भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0– 529/डी0एल0आर0सी0–08 दिनांक 11–08–08 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद देहरादून मे मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के अतिथि गृह हेतु कुल 0.7945 है0 भूमि खसरा संख्या 1308 जो वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में मलवरी फार्म नत्थनपुर उ0प्र0 सरकार के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है को वित्त अनुभाग–03 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–03/2002 दिनांक 15–02–2002 की व्यवस्थानुसार न्याय विभाग उत्तराखण्ड को नम्नलिखित शर्तों के अधीन निशुल्क हस्तान्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।

3– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4– यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5– जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की गयी है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नही की जायेगी।

6– जिन प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की गयी है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0संख्या– /समदिनांकित/2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, न्याय विभाग उत्तराखण्ड शासन।
2– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन।
3– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय।
4– प्रभारी मीडिया केन्द्र सचिवालय
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।